

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प. 3 (42)नविवि/3/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 1 OCT 2013


आदेश

राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 3 (42)नविवि/2/13 दिनांक 20.04.13 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि परिधिय क्षेत्रों में स्वयं की खातेदारी/सहखातेदारी की कृषि भूमि पर निर्मित आवास (अधिकतम 500 वर्गमीटर तक) का नियमितिकरण किये जाने हेतु निर्धारित अवधि तक आवेदन कर दिया जाता है तो उक्त निर्मित आवास का नियमितिकरण निःशुल्क किया जायेगा तथा अन्य शुल्क देय नहीं होंगे।

उपरोक्त परिपत्र की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्ड को नियमितिकरण करने समय निम्न प्रक्रिया एवं शर्तों की पालना की जावेगी :-

1. उपरोक्त परिपत्र के संबंध में 500 वर्गमीटर के पट्टे देने हेतु संबंधित काश्तकार के एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा (प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप की प्रति संलग्न है)
2. काश्तकार 500 वर्गमीटर भूमि काश्तकार प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को निःशुल्क समर्पित करेगा एवं राजस्व अभिलेख में भूमि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के नाम दर्ज करवाकर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकन करवाकर प्रति पेश करेगा। यह कार्य संबंधित तहसीलदार द्वारा 7 दिवस में पूर्ण कर स्थानीय निकाय को सूचित किया जायेगा अन्यथा प्रक्रिया स्वतः ही पूर्ण मानी जावेगी।
3. पहुंच मार्ग की जिम्मेदारी काश्तकार की होगी।
4. काश्तकार द्वारा सहखातेदारों की सहमति पेश की जावेगी।
5. अन्य विकास कार्यों की मांग उस क्षेत्र में प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय योजना की क्रियान्विति होने तक नहीं करेगा, का विवरण देना।

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संघु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक :प. 3 (42)नविवि/3/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक 11 OCT 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/वित्त विभाग।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
14. समस्त अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास।
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

सेवामें,

श्रीमान सचिव,

.....
जयपुर।

विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान 2013 में निवास गृह, पशुशाला व भण्डार गृह के लिए स्वयं की खातेदारी भूमि में से 500.00 वर्गमीटर भूमि संपरिवर्तन करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपसे सविनय निवेदन है कि ग्राम तहसीलजिला में मेरी स्वयं की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसमें मैंने खसरा नम्बररकबा.....हैक्टेयर में सेवर्गमीटर में मकान (गृह निवास) पशुशाला व भण्डार गृह बना रखा है। मैं उक्त भूमि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के पक्ष में निशुल्क समर्पित कर प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के नाम नामान्तरण दर्ज करवाकर जमाबंदी की प्रति पेश कर रहा हूँ।

अतः राज्य सरकार के आदेशों की पालना में मुझे निवास गृह, पशुशाला व भण्डारण के लिये 500.00 वर्गमीटर भूमि का आवंटन पत्र जारी कराने का कष्ट करे। आपकी अति कृपा होगी। इसके लिए पहुंच मार्ग की जिम्मेदारी हमारी होगी। प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को इस आवंटित भूखण्ड का भविष्य के अपनी योजना के अनुसार समायोजित करने का अधिकार होगा।

दिनांक :-

हस्ताक्षर

नाम :

पिता :

पूरा पता :

.....

संलग्न :- जमाबंदी, नक्शा ट्रेस।

शपथ-पत्र

मैं/हमसशपथ कथन करता हूँ/करते हैं कि :-

1. प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के अधीन आने वाले क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मेरी/हमारी कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—
 - (1) ग्रामतहसील.....जिला.....
 - (2) खसरा नम्बर.....क्षेत्रफल.....बीघा/हैक्टेयर.....इनकी जमाबंदी नकल व खसरा नकल की प्रति संलग्न है।
2. मेरी/हमारी उपरोक्त कृषि भूमि मेंवर्गमीटर भूमि अकृषि उपयोग में रहवास/अन्य कृषि से संबंधित कार्य हेतु उपयोग में ली जा रही है।
3. उक्त अकृषि भूमि मेरे द्वारा राजस्व विभाग से संपरिवर्तन करायी हुई है/नहीं है। (संपरिवर्तन कराने की स्थिति में आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करे।)
4. यह है कि उक्त अकृषि भूमि के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा राजस्व तहसीलदार को प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के पक्ष में सर्म्पण पत्र दिया जाकर भूमि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करायी जा चुकी है। जिसके साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी/नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
5. यह है कि मैं/हम उक्त अकृषि भूमि का प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का पट्टा लेना चाहते हैं।
6. यदि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय उक्त अकृषि भूमि का पट्टा हमें प्रदान करती है तो इस पट्टा शुदा भूमि में जाने आने हेतु मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रकार के रास्ते की मांग नहीं की जायेगी। किसी प्रकार के विकास कार्यों की भी मांग नहीं की जायेगी। भविष्य में उक्त भूमि व उसके चारों ओर की भूमि के संबंध में कोई योजना सृजित की जाती है तो उक्त भूखण्ड को योजना अनुसार सम्मिलित करने की कार्यवाही के संबंध में मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

शपथ-पत्र के पैरा 1 से 6 तक के कथन मैंने मेरी निजी जानकारी से बिना किसी नशे व दबाव के सही-सही लिखा है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथ-ग्रहिता